

भारत सरकार
कार्मिक एवं आवास मंत्रालय
भूमि एवं विकास कार्यालय
निर्माण भवन,

नई दिल्ली,

संख्या 24(6)/76-सीडीएन(पीटी)-(82)

दिनांक: 20.6.1984

कार्यालय आदेश सं. - 5/84

विषय:- पट्टेदारों के बीच में बिक्री के सम्बन्ध में निर्देश।

उपरोक्त विषय पर कार्यालय आदेश सं. कोऑर्ड (13), दिनांक: 30.3.64 और पॉलिसी सेल सं. 7(8)/66, दिनांक: 13.12.66 और विशिष्ट कार्यालय आदेश सं. 21/76, दिनांक: 31.3.76 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित किया जाता है।

इस विषय पर भूमि एवं विकास अधिकारी द्वारा सहायक कानूनी परामर्शदाता के साथ चर्चा करके पुनःविचार नहीं किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान पद्धति को जारी रखा जाना चाहिए जिसमें किसी शेयर को एक सह-पट्टेदार से दूसरे सह-पट्टेदार को हस्तांतरित किया जाता है, बिक्री के रूप में नहीं लिया जाता। फिर भी, यदि भविष्य में सम्पत्ति के किसी अंश के बिक्री की अनुमति को जारी किया जाता है तो इसे बिक्री सहमति पत्र में स्पष्ट करना होगा कि भविष्य में उस सम्पत्ति के बाकी बचे अंश की बिक्री उसी व्यक्ति को किये जाने को विक्रय के रूप में माना जायगा और वर्तमान में लागू कार्यालय आदेशों के तहत नहीं माना जाएगा।

पुराने मामलों को उसी अनुसार अंतिम रूप दिया जा सकता है।

(ए.सी. सहरावत)
न्यायिक अधिकारी (कनिष्ठ)

सभी अधिकारीगण/विभाग